न्यायालय–न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज०)

पीठासीन अधिकारी – तुषार बिश्नोई (आर.जे.एस.)

निर्णय दिनांक 30.03.2026

नियमित आपराधिक प्रकरण सख्या–908/2019

सीआईएस रजिस्ट्रेशन संख्या–Cr.Reg.Case 908/2019

राज० राज्य बनाम कर्ण सिंह

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–186/2019, पुलिस थाना, पचेरीकलां

अपराध अंतर्गत धारा–279,337,338 भारतीय दण्ड संहिता ।

भाग–प्रथम

A

परिवादी	रामावतार पुत्र कुरडाराम उम्र 45 साल निवासी सोहली पुलिस थाना, पचेरी कलां जिला झुंझुनूं।
प्रस्तुतकर्ता	सरकार जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त का नाम व पता	कर्ण सिंह पुत्र जगमाल सिंह उम्र 49 साल निवासी दुलोठ अहीर तहसील महेन्द्रगढ जिला महेन्द्रगढ (हरियाणा)
विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त	श्री रामस्वरूप यादव
विद्वान अधिवक्ता परिवादी	-----

B

अपराध की दिनांक	19.10.2019
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	21.10.2019
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	10.12.2019
आरोप सुनाये जाने की दिनांक	10.12.2019
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	11.01.2022
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	--
निर्णय दिनांक	30.03.2026
दण्डादेश की दिनांक (If any)	30.03.2026

C

अभियुक्त का विवरण

क्र. सं.	अभियुक्तगण का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अंतर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	धारा–428 जाब्ता फौजदारी के उद्देश्य के लिए अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि
01	कर्ण सिंह	–	–	279,337,338 भारतीय दण्ड संहिता	दोषसिद्ध एवं परिवीक्षा का फायदा	निर्णय के पैरा संख्या–27 में वर्णितानुसार	––

भाग–द्वितीय

अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान की सूची

अ–अभियोजन गवाहान

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पी.डब्ल्यू 01	रामावतार	परिवादी/प्रथम सूचना रिपोर्टकर्ता
पी.डब्ल्यू 02	मनीराम	फर्द जब्ती ट्रेक्टर एवं फर्द जब्ती कागजात
पी.डब्ल्यू 03	श्रीमती सुनिता	चश्मदीद
पी.डब्ल्यू 04	रोहिताश	नक्शा मोका घटनास्थल व फर्द निरीक्षण मोटर साईकिल
पी.डब्ल्यू 05	संदीप	नक्शा मौका घटनास्थल
पी.डब्ल्यू 06	अमरजीत	चश्मदीद/आहत
पी.डब्ल्यू.07	बलकेश मीणा	मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट बाबत
पी.डब्ल्यू.08	राजपाल	फर्द पंचनामा ट्रेक्टर
पी.डब्ल्यू.09	कृष्ण कुमार	फर्द जब्ती ट्रेक्टर एच आर 34 जे 9989
पी.डब्ल्यू.10	जसवंत सिंह	अनुसंधान अधिकारी
पी.डब्ल्यू.11	डॉ० आशीष राव	चिकित्साधिकारी

ब–बचाव गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
––	––	––

स–न्यायालय गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)

<u>अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श</u>

अ–अभियोजन प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
01	प्रदर्श पी.01	तहरीर रिपोर्ट
02	प्रदर्श पी.02	चाक शुदा प्रथम सूचना रिपोर्ट
03	प्रदर्श पी.03	नक्शा मौका घटनास्थल
04	प्रदर्श पी.04	फर्द जब्ती ट्रेक्टर एच.आर. 34 जे 9989
05	प्रदर्श पी.05	फर्द जब्ती कागजात ट्रेक्टर एच.आर. 34 जे 9989
06	प्रदर्श पी.06	फर्द जब्ती मूल ड्राईविंग लाईसेंस अभियुक्त कर्ण सिंह
07	प्रदर्श पी.07	फर्द जब्ती मूल इंश्योरेंस ट्रेक्टर एच.आर. 34 जे 9989
08	प्रदर्श पी.08	फर्द निरीक्षण व सुपुर्दगी मोटर साईकिल एच.आर 82–3506
09	प्रदर्श पी.09	बयान धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता संदीप व मैकेनिकल मुआयन रिपोर्ट वाहन ट्रेक्टर एच.आर. 34 जे 9989
10	प्रदर्श पी.10	फर्द पंचनामा ट्रेक्टर एच.आर. 34 जे 9989
11	प्रदर्श पी.11	आहत अमरजीत की चोटों की प्रकृति बाबत राय चाहने बाबत जारी तहरीर
12	प्रदर्श पी.12	नोटिस धारा 133 एम.वी.एक्ट, आउट डोर टिकट अमरजीत
13	प्रदर्श पी.13	चोट प्रतिवेदन आहत अमरजीत

ब–बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
–	--	--

स–न्यायालय प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
--	--	--

द–भौतिक वस्तुएं

क्र.सं.	भौतिक वस्तु नंबर	विवरण
	--	

01. प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में प्रकार हैं कि परिवादी रामावतार पुत्र कुरड़ाराम जाति अहीर निवासी सोहली पुलिस थाना पचेरी कलां ने दिनांक 21.10.2019 को पुलिस थाना, पचेरी कलां में उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि उसका बच्चा अमरजीत पुत्र रामावतार जाति अहीर गांव सोहली समय करीब 9.00 बजे ग्राम सोहली से दुलोठ अहीर की तरफ मोटर साईकिल नम्बर एच.आर. 82–3506 से जा रहा था तब सामने से कर्ण सिंह पुत्र जगमाल सिंह गांव दुलोठ अहीर तहसील महेन्द्रगढ से ट्रेक्टर नम्बर एच.आर. 34 जे. 9989 से लापरवाही से तेजगति से सामने से आ रहा था तब उसके बच्चे को टक्कर मार दी, तब उसके बच्चे को गंभीर चोटें आई तथा उसका ईलाज लक्ष्मीनारायण हास्पिटल महेन्द्रगढ में चल रहा है। रिपोर्ट करता हूँ कार्यवाही की जावे। यह घटना दिनांक 19.10.2019 की है। उक्त आशय की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना पचेरी कलां पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 186/2019 अंतर्गत धारा 279, 337 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध साबित पाये जाने पर उक्त अपराध धाराओं में आरोप पत्र इस न्यायालय में पेश किया गया। जिस पर उक्त अपराध धाराओं का प्रसंज्ञान अभियुक्त के खिलाफ लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

02. न्यायालय द्वारा अभियुक्त को धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने जुर्म से इंकार कर अन्वीक्षा चाही। जिस पर अभियोजन साक्ष्य को तलब किया गया।

03. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिए पृष्ठ संख्या–02 पर भाग द्वितीय में वर्णित गवाहान के बयान करवाये गये एवं पृष्ठ संख्या–03 पर भाग द्वितीय में वर्णित दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये।

04. अभियोजन साक्ष्य समाप्ति के पश्चात अभियुक्त को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत परीक्षित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना, स्वयं को निर्दोष एवं झूठा फंसाया जाना जाहिर किया। अभियुक्त की ओर से साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना जाहिर किया। अतिरिक्त कथन में अभियुक्त ने कथन किया कि खड़े ट्रेक्टर पर मोटर साईकिल से टक्कर मारी जिससे परिवादी गिर गया।

05. बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने जाहिर किया कि प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहान की साक्ष्य से प्रकरण में प्रश्नगत वाहन के चालक की लापरवाही से दुर्घटना होने व उक्त दुर्घटना में आहत अमरजीत के शरीर पर साधारण एवं गंभीर उपहतियां कारित होना प्रमाणित हुआ है। ऐसे में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त का अपराध प्रमाणित हो रहा है। अन्त में अभियुक्त को दोषसिद्ध किए जाने का निवेदन किया गया।

06. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने जाहिर किया कि प्रकरण के आहत ने अभियुक्त के खडे ट्रेक्टर के टक्कर मारी है जिससे आहत के गिर जाने से चोटे आई है। जिसमें अभियुक्त की किसी प्रकार की कोई गलती एवं लापरवाही नहीं रही है। उनका यह भी तर्क रहा है कि अभियुक्त अपने ट्रेक्टर से सोहली जा रहा था एवं आहत दुलोठ जा रहा था एवं सड़क टूटी फुटी होने से कोई भी वाहन का इधर उधर चला जाना गवाहान की साक्ष्य में आया है एवं आहत की मोटर साईकिल अभियुक्त के ट्रेक्टर की दिशा में आकर ट्रेक्टर से टकराई है जिसमें अभियुक्त की किसी प्रकार की कोई लापरवाही होना नहीं माना जा सकता। उनका यह भी तर्क रहा है कि प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी द्वारा नक्शा मौका में ट्रेक्टर की दिशा को गलत दर्शाया गया है। उनका यह भी तर्क रहा है कि प्रकरण लिप्त वाहनों मोटर साईकिल एवं ट्रेक्टर पर दुर्घटना कारित होने के कोई निशानात नहीं पाये गये है। प्रकरण में आहत के दांतों के टूट जाने के संबंध में ना तो कोई दस्तावेज पेश किए गए हैं और आहत का किसी विशेषज्ञ रेडियोलोजिस्ट से परीक्षण नहीं करवाया गया है जिससे आहत की चोटों को गंभीर प्रकृति की होना साबित नहीं माना जा सकता। प्रकरण में अभियोजन पक्ष ना तो अभियुक्त को वाहन चालक होना एवं ना ही उसकी उपेक्षा एवं लापरवाही को साबित कर पाया है। अन्त में अभियुक्त को आरोपित अपराधों से दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया गया।

07. बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली व संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। इस प्रकरण के निस्तारण हेतु निम्न अवधारणीय बिन्दु विरचित किये जाते हैं–

1– आया अभियुक्त कर्ण सिंह ने दिनांक 19.10.2019 को सोहली से दुलोठ अहीर लोक मार्ग पर वाहन ट्रेक्टर नंबर एच.आर.34 जे. 9989 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाते हुए मानव जीवन को संकटापित

कर मोटर साईकिल नम्बर एच.आर. 82–3506 के सामने से टक्कर मारी, जिससे उक्त मोटर साईकिल पर सवार अमरजीत के शरीर पर साधारण एवं गंभीर उपहतियां कारित हुई ?

2. यदि हां, तो उसका उचित दण्ड क्या होगा ?

08. हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल ग्यारह गवाहों को परीक्षित करवाया गया है। हस्तगत प्रकरण का आहत अमरजीत पुत्र रामावतार है जो बतौर गवाह पी०डब्ल्यू–06 के रूप में परीक्षित हुआ है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 19.10.2019 को सुबह करीब 9.00 बजे वह मोटर साईकिल पर अपने घर से दुलोठ जा रहा था जब वह अपने घर से थोड़ी दूर मैन सड़क पर पहुंचा तब दूलोठ की तरफ से एक ट्रेक्टर एच.आर. 34 जे. 9989 को उसका चालक कर्ण सिंह तेजगित व लापरवाही से चलाते हुए आया और उसके सामने से टक्कर मार दी। टक्कर लगने से उसका दांत टूट गया व होठ फट गया था और वह बेहोश हो गया था। **दौराने जिरह गवाह ने जाहिर किया** कि वह बांयी साईड से दुलोठ की तरफ जा रहा था, ट्रेक्टर वाला तेजगति से चलाता हुआ उसकी बायीं साईड में ही आया था। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि सोहली से दुलोठ की सड़क उबड़ खाबड़ है तथा सड़क टूटी होने से कोई भी वाहन दाएं बाएं आ जा सकता है। गवाह ने आगे इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि उस सड़क पर वाहन दस से बीस की स्पीड से ही चल सकता है इससे ज्यादा स्पीड में नहीं सकता।

09. गवाह पी०डब्ल्यू–01 रामावतार हस्तगत प्रकरण का परिवादी है जिसके द्वारा घटना की तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी–01 दर्ज करवाई गई है जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 19.10.2019 को सुबह 9.00 बजे उसका लड़का अमरजीत उसके घर दुलोठ मोटर साईकिल पर पेट्रोल मोटर साईकिल में डलवाने के लिए जा रहा था, जब वह घर से तीन सौ मीटर के करीब पहूंचा तो वहां पर कर्णसिंह ने अपने ट्रेक्टर एच.आर.34 जे. 9989 को तेजगित एवं नशे में चलाकर उसके लड़के का एक्सीडेंट कर दिया। दुर्घटना में उसके लड़के का जबाड़ा टूट गया और दांत टूट गये। उक्त घटना के संबंध में उसने पुलिस थाना, पचेरीकला में एक लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी–01 पेश की थी, जिसका चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी–02 है, पुलिस ने उसके सामने घटनास्थल का नक्शा मौका मय हालात मौका बनाया था जो प्रदर्श पी–03 है जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। **दौराने**

जिरह गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि वह घटना के समय मौके पर उपस्थित नहीं था, घटना उसने सुनी सुनाई ही बताई है। गवाह ने आगे जाहिर किया कि उसने ट्रेक्टर को दुर्घटनास्थल पर खड़ा देखा था तब ही उसके नम्बर देखे थे। गवाह ने आगे इस सुझाव को गलत बताया कि ट्रेक्टर वाला अपनी साईड में आ रहा हो। गवाह ने स्वतः कथन में कहा कि ट्रेक्टर वाले ने रोंग साईड में जाकर मारा है।

10. गवाह पी०डब्ल्यू–03 श्रीमती सुनिता हस्तगत प्रकरण के आहत अमरजीत की भाभी है जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 19.10.2019 को उसने अपनी बाईक अपने देवर अमरजीत को पेट्रोल डलवाने के लिये दी थी, उसका देवर सोहली से दुलोठ की तरफ जा रहा था और दूलोठ की तरफ से एक ट्रेक्टर एच.आर. 35 जे. 9989 रोंग साईड से तेजगति से आ रहा था और उसके देवर की मोटर साईकिल के टक्कर मार दी। टक्कर से उसके देवर के दांत टूट गये और मोटर साईकिल क्षतिग्रस्त हो गई थी। ट्रेक्टर को कर्णसिंह चला रहा था। **दौराने जिरह गवाह ने जाहिर किया** कि वह मौके पर नहीं थी उसको उसके ससुर ने बताया था। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि सोहली से दुलोठ जाने वाली सड़क इतनी टूटी फूटी है कि उस पर एक पैदल आदमी भी सही तरीके से नहीं चल सकता है।

11. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण के अनुसंधान के दौरान की गई कार्यवाहियों को औपचारिक प्रकृति के गवाहान की साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो गवाह गवाह पी०डब्ल्यू–02 मनीराम फर्द जब्ती ट्रेक्टर, फर्द जब्ती कागजात ट्रेक्टर एवं फर्द जब्ती लाईसेंस अभियुक्त कर्णसिंह का मौबतबिर साक्षी है जिसने ने स्वयं के सामने जसवंत ए.एस.आई. द्वारा ट्रेक्टर एच.आर. 34 जे. 9989 को जरिए फर्द प्रदर्श पी–04, ट्रेक्टर की इंश्योरेंस व चालक कर्णसिंह का लाईसेंस जरिए फर्द प्रदर्श पी–05 व 06 के तथा मूल इंश्योरेंस प्रदर्श पी–07 जब्त किये जाने एवं उक्त फर्दात पर अपने हस्ताक्षरों की ताईद की है। **दौराने जिरह गवाह ने जाहिर किया** कि फर्द प्रदर्श पी–04, प्रदर्श पी–05 व प्रदर्श पी–07 पर समय अंकित नहीं है ।

12. गवाह पी०डब्ल्यू–04 रोहिताश नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी–03 एवं फर्द निरीक्षण व सुपुर्दगी मोटर साईकिल प्रदर्श पी–08 का मौतबिर गवाह है जिसने उक्त फर्दात स्वयं के सामने बनाये जाने एवं इन पर अपने हस्ताक्षरों की ताईद की है।

13. गवाह पी०डब्ल्यू–07 बलकेश मीणा तत्कालीन वाहन चालक पुलिस थाना पचेरी कलां होकर हस्तगत प्रकरण में जब्त शुदा वाहन ट्रेक्टर एच.आर. 34 जे. 9989 का मैकेनिकल मुआयना कर रिपोर्ट प्रदर्श पी–09 तैयार करने वाला साक्षी है जिसने उक्त रिपोर्ट स्वयं द्वारा तैयार किये जाने एवं इस पर अपने हस्ताक्षरों की ताईद की है। दौराने जिरह गवाह ने कथन किया कि वाहन के आगे का बम्फर कम्पनी निर्मित न होकर बाहर से किसी दुकान का था।

14. गवाह पी०डब्ल्यू–08 राजपाल फर्द पंचनामा व सुपुर्दगी ट्रेक्टर का मौतबिर साक्षी है जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 05.12.2019 को पुलिस ने उसके सामने ट्रेक्टर एच.आर. 34 जे. 9989 का पंचनामा तैयार कर सुपुर्द किया था जो प्रदर्श पी–10 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं।

15. गवाह पी०डब्ल्यू–09 कृष्ण कुमार फर्द जब्ती ट्रेक्टर एवं कागजात का मौतबिर गवाह है जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 02.12.2019 को पुलिस थाना, पचेरीकला में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था उस रोज ट्रेक्टर एच.आर. 34 जे. 9989 को उसके सामने जरिए फर्द प्रदर्श पी–04 जब्त किया था एवं उक्त ट्रेक्टर की असल इंश्योरेंस व कर्णसिंह का ड्राईविंग लाईसेंस को जरिए फर्द प्रदर्श पी–05 के जब्त किया था। उक्त ट्रेक्टर का पंचनामा एवं सुपुर्दगी प्रदर्श पी–10 उसके सामने तैयार किया था जिन उसके हस्ताक्षर हैं। दौराने जिरह गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–04 में जिससे ट्रेक्टर जब्त किया गया है उसके हस्ताक्षर नहीं हैं।

16. गवाह पी०डब्ल्यू–10 जसवंत सिंह तत्कालीन ए.एस.आई. पुलिस थाना चिड़ावा होते हुए इस प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है जिसने अपने मुख्य परीक्षण में स्वयं के द्वारा अनुसंधान के दौरान की गई कार्यवाहियों का सिलसिलेवार विवरण देते हुए कथन किया कि दिनांक 21.10.19 को परिवादी रामावतार ने उपस्थित थाना होकर एक हस्तलिखित तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी–01 उसके समक्ष पेश की जिसके आधार पर चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी–02 दर्ज कर दौराने अनुसंधान घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–03 तैयार किया एवं गवाहान के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये तथा क्षतिग्रस्त मोटर साईकिल का निरीक्षण कर फर्द निरीक्षण व सुपुर्दगी मोटर साईकिल प्रदर्श पी–08 तैयार की एवं ट्रेक्टर स्वराज को जरिए फर्द प्रदर्श पी–04 तथा ट्रेक्टर के कागजात एवं कर्णसिंह का

ड्राईविंग लाईसेंस जरिए प्रदर्श पी–05 जब्त कर शामिल पत्रावली किये गये। उक्त ट्रेक्टर के पंजीकृत स्वामी कर्णसिंह को धारा 133 एम.वी.एक्ट का नोटिस प्रदर्श पी–12 देकर उसका जवाब प्राप्त किया गया। ट्रेक्टर की मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट प्रदर्श पी–09 प्राप्त कर शामिलि पत्रावली की गई। मजरूब अमरजीत सिंह का चोट प्रतिवेदन प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया। आहत की चोटों के संबंध में चिकित्साधिकारी से चोटों की प्रकृति की राय जानने के लिए प्रतिवेदन प्रदर्श पी–11 दिया गया जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। चोटों की प्रकृति गंभीर पाये जाने पर धारा 338 भारतीय दण्ड संहिता जोड़ी गई। बाद तपतीश अभियुक्त कर्णसिंह के खिलाफ जुर्म धारा 279,337,338 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोप पत्र प्रस्तुत करने हेतु पत्रावली थानाधिकारी भरतलाल के समक्ष पेश की गई, जिनके द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। **दौराने जिरह गवाह ने जाहिर किया** कि रामावतार का लड़का अमरजीत सोहली से महेन्द्रगढ जा रहा था, ट्रेक्टर दुलोठ से सोहली की तरफ आ रहा था। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि जब उसने मौका देखा तब वहां ना तो ट्रेक्टर था ना ही मोटर साईकिल थी। गवाह ने आगे इस सुझाव को गलत बताया कि मोटर साईकिल चालक ने ट्रेक्टर के टक्कर मारी हो जिससे मोटर साईकिल क्षतिग्रस्त हुई हो और मोटर साईकिल का नुकसान हुआ हो। गवाह ने इस सुझाव को गलत बताया कि ट्रेक्टर अपनी साईड में सही गति से ट्रेक्टर चालक चला रहा था, उसकी कोई लापरवाही नहीं थी।

17. गवाह पी०डब्ल्यू–11 डॉ० आशीष राव आहत अमरजीत की चोटों का चिकित्सीय परीक्षण करने वाला चिकित्साधिकारी है जिसने अपने मुख्य परीक्षण कथन किया कि दिनांक 19.10.19 को सरकारी अस्पताल, महेन्द्रगढ में मेडिकल आफिसर के रूप में इमरजेंसी वार्ड में कार्यरत था उस रोज अमरजीत पुत्र रामवतार को रोहताश नाम का व्यक्ति साथ लाया था। अमरजीत की आउटडोर की पर्ची काटी गई जो प्रदर्श पी–12 है। इसमें अमरजीत को प्रारम्भिक चिकित्सा दी गई थी फिर उसकी मेडिको लिगल जांच रिपोर्ट बनाई जो प्रदर्श पी–13 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। मुताबिक रिपोर्ट अमरजीत का उपर वाला होठ फटा हुआ था, होठ से काफी खून बह रहा था। अमरजीत का रक्तचाप गिर रहा था और उसकी स्थिति गंभीर होने से उसने उसको हायर सेंटर पर रेफर करने की सलाह दी थी। उसको डेंटल व सर्जन ओपिनियम की सलाह दी थी। **दौराने जिरह गवाह ने इस सुझाव को**

स्वीकार किया कि उसने रिपोर्ट में यह अंकित नहीं किया था कि चोटे गंभीर थी या साधारण थी।

19. इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त वर्णित मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का समग्र रूप से अध्ययन एवं अवलोकन किया जावे तो प्रकरण में चश्मदीद गवाह के रूप में एकमात्र साक्षी पी०डब्ल्यू–06 अमरजीत सिंह आहत की साक्ष्य है, जिसने अपनी साक्ष्य में उपरोक्त वर्णितानुसार वाहन ट्रेक्टर एच.आर. 34 जे 9989 को घटना की दिनांक 19.10.2019 को कर्ण सिंह पुत्र जगमाल सिंह निवासी दूलोठ के द्वारा तेजगति व लापरवाही से चलाकर सामने से स्वयं के टक्कर मारना बताया है एवं टक्कर लगने से स्वयं का दांत टूट जाना एवं होठ फट जाना बताया है। प्रकरण में दौराने अनुसंधान, अनुसंधान अधिकारी पी०डब्ल्यू–10 जसवंत सिंह के द्वारा वाहन ट्रेक्टर एच.आर. 34 जे 9989 के पंजीकृत स्वामी को धारा 133 एम.वी.एक्ट का नोटिस देकर वक्त दुर्घटना उक्त वाहन के चालक के संबंध में पूछा गया तो अभियुक्त कर्ण सिंह ने उक्त वाहन को घटना की दिनांक 19.10.2019 को स्वयं द्वारा चलाना एवं स्वयं को मालिक होना बताया है। जिससे गवाह पी०डब्ल्यू–06 अमरजीत के इन कथनों की ताईद होती है कि दिनांक 19.10.2019 को अभियुक्त कर्णसिंह वाहन ट्रेक्टर एच.आर. 34 जे.9989 को वक्त दुर्घटना चला रहा था एवं उसकी मोटर साईकिल के सामने से टक्कर मार दी। गवाह पी०डब्ल्यू–06 अमरजीत ने घटना के समय वाहन ट्रेक्टर को उसके चालक कर्ण सिंह द्वारा तेजगति, गफलत एवं लापरवाही से चलाना भी अपने बयानों में जाहिर किया है।

20. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क रहा है कि घटनास्थल की सड़क टूटी फूटी होने से आहत की मोटर साईकिल ईधर उधर होकर अभियुक्त के ट्रेक्टर की तरफ गलत दिशा में आकर टकरा गई जिससे उक्त दुर्घटना में अभियुक्त की किसी प्रकार की कोई लापरवाही होना नहीं कहा जा सकता। इस संबंध में पत्रावली पर आई गवाहों की साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो यद्यपि घटनास्थल पर सड़क टूटी फूटी होना बताया गया है, लेकिन अभियुक्त की ओर से अपने बचाव में ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है कि आहत की मोटर साईकिल ने गलत दिशा में आकर अभियुक्त के ट्रेक्टर के टक्कर मारी हो जिससे तथाकथित दुर्घटना कारित हुई हो। मुताबिक नक्शा मोका प्रदर्श पी–03 जहां दुर्घटना हुई वह स्थान एक्स मार्क से दर्शाया गया है। नक्शा मोका गवाहों की मौखिक साक्ष्य से

प्रमाणित हुआ है। यदि मोटर साईकिल चालक अमरजीत गलत दिशा में जाता तो एक्स स्थान पर दुर्घटना होना संभावित नहीं है। एक्स स्थान यही स्पष्ट करता है कि ट्रेक्टर चालक ही गलत दिशा में आया जिसकी लापरवाही के कारण दुर्घटना कारित हुई। ऐसे में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का उक्त तर्क सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

21. आहत के शरीर पर की चोटें कारित होने की ताईद गवाह पी०डब्ल्यू–11 डॉ० आशीष राव की साक्ष्य से हुई है, जिनकी साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का कोई आधार न्यायालय के समक्ष नहीं है। यद्यपि अधिवक्ता अभियुक्त का यह कथन रहा है कि प्रकरण में आहत की चोट गंभीर प्रकृति की होने के संबंध में रेडियोलोजिस्ट को पेश कर परीक्षित नहीं करवाया गया है। न्यायालय के विनम्र मत में गवाह पी०डब्ल्यू–11 डॉ० आशीष राव के द्वारा प्रदर्श पी–11 पर आहत की चोटों के संबंध में जो राय दी गई है वह आहत के श्रीराम हास्पिटल के ईलाज के कागजात के आधार पर दी गई है जिससे उक्त चिकित्सीय राय को अविश्वसनीय प्रकृति की होना नहीं माना जा सकता। जहां तक आहत अमरजीत के दांत टूट जाने से गंभीर चोटें आने का प्रश्न है तो इस संबंध में गवाह पी०डब्ल्यू–06 अमरजीत की मौखिक साक्ष्य की ताईद करने हेतु कोई दस्तावेजी साक्ष्य अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल मौखिक कथन से दांत या जबड़ा टूटना प्रमाणित नहीं माना जा सकता। इस प्रकार उक्त चिकित्सीय साक्ष्य से आहत अमरजीत सिंह के शरीर पर साधारण प्रकृति की चोटें कारित होने का तथ्य भी बखूबी साबित होता है।

22. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क रहा है कि प्रकरण में लिप्त वाहन मोटर साईकिल पर किसी प्रकार के मोच एवं खरोंच निशान नहीं पाये गये हैं, जिससे अभियोजन का मामला संदेहास्पद हो जाता है। इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध फर्द निरीक्षण मोटर साईकिल प्रदर्श पी–08 का अवलोकन किया जावे तो मोटर साईकिल की फर्द निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 21.10.2019 को तैयार की गई है एवं हस्तगत प्रकरण की घटना दिनांक 19.10.2019 को घटित हुई है। इसमें यह तथ्य अंकित है कि वाहन की आगे ही हैड लाईट टूटी हुई है, आगे के टायर पर लगा हुआ लाल रंग का गार्ड टूटा हुआ है व आगे के टायर की रीम में मोच तथा बायीं तरफ टंकी थोडी मूची हुई है। इस प्रकार वाहन मोटर साईकिल की फर्द निरीक्षण रिपोर्ट से भी उक्त वाहन की किसी अन्य वाहन से सामने से टक्कर होने के तथ्य की ताईद हो रही है। ऐसे में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का उक्त तर्क सारहीन हो

जाता है।

23. हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श पी–07 मूल इंश्योरेंस पॉलिस वाहन ट्रेक्टर एच.आर.34 जे. 9989 के अनुसार उक्त वाहन दिनांक 23.10.2019 से 22.10.2020 की अवधि तक ईफको टोकियो इंश्योरेंस कम्पनी के यहां से बीमित था एवं हस्तगत प्रकरण की दुर्घटना दिनांक 19.10.2019 को कारित हुई है एवं बचाव पक्ष की ओर से दुर्घटना के दिन उक्त वाहन बीमित होने के संबंध में किसी प्रकार की कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है जिससे यह प्रकट होता है कि दुर्घटना की दिनांक को उक्त वाहन बीमित नहीं था एवं अभियुक्त के द्वारा वक्त दुर्घटना बिना वैध रूप से बीमित हुए वाहन ट्रेक्टर एच.आर. 34 जे. 9989 को चलाया जा रहा था। जिससे अभियुक्त के विरूद्ध धारा 146/196 मोटर वाहन अधिनियम के अपराध का आरोप भी प्रमाणित होता है।

24. इस प्रकार उपरोक्त समस्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्त कर्ण सिंह के विरूद्ध यह तथ्य संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त कर्ण सिंह ने दिनांक 19.10.2019 को सोहली से दुलोठ अहीर लोक मार्ग पर वाहन ट्रेक्टर नंबर एच.आर.34 जे. 9989 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाते हुए मानव जीवन को संकटापित कर मोटर साईकिल नम्बर एच.आर.82–3506 के सामने से टक्कर मारी, जिससे उक्त मोटर साईकिल पर सवार अमरजीत के शरीर पर साधारण एवं गंभीर उपहतियां कारित हुई एवं वक्त दुर्घटना उक्त वाहन ट्रेक्टर बीमित नहीं था। ऐसे में अभियुक्त धारा 279,337 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 146/196 मोटर वाहन अधिनियम के अपराध के आरोपों में दोषसिद्ध घोषित किये जाने योग्य पाया जाता है एवं धारा 338 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त घोषित किये जाने योग्य पाया जाता है।

–आदेश–

25. परिणामतः अभियुक्त कर्ण सिंह पुत्र जगमाल सिंह उम्र 49 साल निवासी दुलोठ अहीर तहसील महेन्द्रगढ जिला महेन्द्रगढ(हरियाणा) को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 279,337 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 146/196 मोटर वाहन अधिनियम में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है एवं धारा 338 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त घोषित किया जाता है।। अभियुक्त द्वारा पूर्व में प्रस्तुत नियमित उपस्थिति बाबत् जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

(तुषार बिश्नोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज०)

<u>दण्ड के प्रशन पर</u>–

26. अभियुक्त के अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। अधिवक्ता अभियुक्त ने कथन किया कि अभियुक्त मजदूरी पेशा ग्रामीण परिवेश के गरीब व्यक्ति है। उसने लगभग सात आठ वर्ष तक अन्वीक्षा की दूरह स्थिति का सामना किया है। अभिलेख पर पूर्व दोषसिद्धि नहीं है और न ही वह अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति है। अन्त में अभियुक्त को कारावास से दण्डित नहीं किया जाकर अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिये जाने का निवेदन किया गया। इसके विपरीत विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध को गंभीर बताते हुए उसे सख्त से सख्त सजा से दण्डित किए जाने का निवेदन किया गया।

27. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली व सुसंगत विधि के अवलोकन से न्यायालय यह पाता है कि अभियुक्त द्वारा लगभग आठ वर्ष तक अन्वीक्षा की लंबी दूरह स्थिति का सामना किया गया है, उसके विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि का प्रमाण अभिलेख पर नहीं है एवं अभियुक्त को धारा 279, 337 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 146/196 मोटर वाहन अधिनियम के अपराधों में दोषी पाया गया है। अतः अभियुक्त द्वारा सात आठ वर्ष की लंबी भुगती गई अन्वीक्षा की अवधि, अपराध की प्रकृति, अभियुक्त के ग्रामीण परिवेश का मजदूरी पेश व्यक्ति होने के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त को तुरंत कारावास से दण्डित नहीं करके अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>दण्डादेश</u>

28. अतः अभियुक्त कर्ण सिंह पुत्र जगमाल सिंह उम्र 49 साल निवासी दुलोठ अहीर तहसील महेन्द्रगढ जिला महेन्द्रगढ(हरियाणा) को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 146/196 मोटर वाहन अधिनियम में की गई दोषसिद्धि के फलस्वरूप अभियुक्त को कारावास से दंडित न कर धारा 04 अपराधी परीविक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है तथा आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त 10,000/–रूपये की जमानत एवं इसी राशि का मुचलका एक वर्ष की अवधि हेतु इस आशय का पेश कर तस्दीक करवावे कि वह उक्त अवधि में शांति एवं सदाचार बनाए

रखेगा, अपराध की पुनरावृति नहीं करेगा एवं न्यायालय द्वारा आहूत किये जाने पर इस प्रकरण में सजा भुगतने के लिए उपस्थित हो जाएगा तो उसे परिवीक्षा पर रिहा कर दिया जाए। इसके साथ ही अभियुक्त पर अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 05 के तहत 4,000/–(अंकेही चार हजार रूपये) रूपये अभियोजन व्यय अधिरोपित किये जाते हैं। अभियोजन व्यय की राशि जमा होने पर बाद गुजरने मियाद अपील, अपील न होने पर इसमें से 3,000/–(अंकेही तीन हजार रूपये) रूपये आहत अमरजीत सिंह पुत्र रामावतार को कारित चोटों की क्षतिपूर्ति के रूप में उसे अदा किये जावें एवं शेष राशि राजकोष में जमा रहेगी।

29. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन पूर्व में सुपुदर्गी पर दिया गया है, जो सुपुदर्गीदार के पास रहे तथा बाद गुजरने मियाद अपील, अपील न होने पर उक्त सुपुदर्गीनामा व जमानतनामा स्वतः निरस्त समझा जावे।

30. अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 12 के तहत इस दोषसिद्ध का कोई प्रतिकूल प्रभाव भविष्य में अभियुक्त के द्वारा की जाने वाली राजकीय सेवा पर नहीं पड़ेगा।

(तुषार बिश्नोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज०)

31. निर्णय व दण्डादेश आज दिनांक 30.03.2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखवाया जाकर, हस्ताक्षरित व मुद्रांकित कर प्रसारित किया गया।

(तुषार बिश्नोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज०)